728 (60)

10-5-2010 78

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ 55 (4)पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./1937-2131 दिनांक : 16-04-2010

1. आयुक्त,
   राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. आयुक्त,
   जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
   जयपुर/जोधपुर।
3. सचिव,
   नगर विकास न्यास,
   समस्त राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
   आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/पारषद/पालिकायें,
   समस्त राजस्थान।

आदेश

जैसाकि आपको विदित ही है कि भूजल अत्यन्त सीमित मात्रा में है। वर्षा की कमी, आबादी के बढ़ते दबाव एवं भूजल के अन्धाधुन्ध दोहन से भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। कम वर्षा के कारण व परम्परागत जल संचय एवं जल संग्रहण के स्त्रोतों (कुएँ, बावडी, तालाब) की ओर उचित ध्यान नहीं दिये जाने से राज्य को पानी की अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के पानी के बिना उपयोग बहकर चले जाने के कारण न तो भूतल पर जल का संग्रहण हो रहा है, और न ही भूजल स्तर का पर्याप्त पुनर्भरण हो पाता है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 (1) व (2) में शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त भवनों यथा : सरकारी, अर्द्धसरकारी, निगम, कंपनी, संस्थान, इत्यादि द्वारा बनाये जाने वाले भवन तथा इनके अलावा निजी भवनों में "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का अनिवार्य रूप से निर्माण करने हेतु प्रावधान किया गया है। साथ ही धारा 238 (4) में यह प्रावधान भी किया गया है कि शहरी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों पर बनने वाले नवीन भवनों में सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली से नया जल कनेक्शन लेने हेतु सम्बन्धित नगर निकाय (नगर निगम/परिषद/पालिका) द्वारा तब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी नहीं किया जावे, जब तक कि उस भवन के मालिक/रहवासी द्वारा अपने भवन में "छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण करवा लिया है।

अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :-

1. शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड में निर्मित/नवीन निर्माण किये जाने वाले समस्त भवनों में "छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का अनिवार्य रूप से उसके मालिक अथवा उसमें रहवास करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्माण करवाया जावे। 300

Copy to all
1) Sregs
2) SE's

CA(I) 10/5/10
DSLT
TA II
1115
File - F-600
11/5/10

वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भवन मालिक अथवा उसमें रहवास करने वाले व्यक्तियों को "छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जावे। "छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण के लिये एक नमूना डिजाईन संलग्न प्रेषित की जा रही है।

2. शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर बनने वाले नवीन भवनों में जब तक उस भवन के मालिक/रहवासी द्वारा "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण नहीं करवा लिया जाता है, तब तक सम्बन्धित नगर निकाय (नगर निगम/परिषद/पालिका) द्वारा भवन में सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली से नया जल कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी नहीं किया जावे।

3. निर्मित/नवीन भवन निर्माण के मालिक/रहवासी को एक निश्चित समयावधि में ऐसी संरचना बनाने के लिये निर्देशित किया जाये एवं भवन मालिक/रहवासी निश्चित समयावधि में संरचना नहीं बनाये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 (3) में जुर्माने का प्रावधान है।

4. इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम, 2010 के बिन्दु सं. 7.12 में शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्गमीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में सेटबैक क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिये "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना "(Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण करवाने हेतु प्रावधान किया गया है।

5. इस कार्य के लिये प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में एक नोडल ऑफीसर नियुक्त किया जावे एवं सूचना पट्ट पर उस अधिकारी का नाम, पदनाम, उनका दूरभाष नं. व कक्ष सं. का भी उल्लेख किया जावे। "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना "(Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण हेतु एक मॉडल डिजाईन का नक्शा विस्तृत रूप में बनवाया जाकर नगर निकाय के भवन में प्रदर्शित किया जावे।

6. "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना "(Roof Top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण कार्य निजी स्तर पर करवाने के लिये प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त की जावे। सुलभ संदर्भ में हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नियुक्त कार्यकारी एजेन्सीज की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : एफ 55 (4)पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./2132-2390 दिनांक : 16.04.2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

77

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

Copy To :- No. 2681 Bgnm 12/5/10

(1) Superintending Hydrogeologist, Jodhpur, Jaipur, Bikaner, Udaipur. GWD.

(2) Superintending Engineer, Jodhpur (HQ), Store Udaipur, Jaipur, GWD.

TAP 3506
1/6/10

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./ दिनांक
2651-2277

1. आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर।
3. सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश सं. : एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./2132–2390 दिनांक : 16.04.10 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. शहरी क्षेत्र में स्थित 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्डो पर निर्मित/नये बनने वाले निजी भवनो में "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) बनवाया जाना सुनिश्चित करते हुये इन प्रावधानों को कड़ाई व प्रभावी तरीके से लागू किया जावे।
2. यह सुनिश्चित किया जावे कि शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों/भूखण्डों का वर्षा जल सीवर लाईन में नहीं डाला जाय। उक्त भवनों का वर्षा जल सीवर लाईन में नहीं जाकर खुली नाला–नाली में बहाया जावे। ऐसे वर्षा जल एवं सड़कों, चौराहों व फुटपाथ क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु क्षेत्र के किसी निचले इलाकों (Low Lying Area) में स्थित खाली स्थान पर "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Storm Rain Water Harvesting Structure) का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जावे।

TAP
[illegible]

3. शहरी क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक भवन के सम्पूर्ण भूखण्ड के क्षेत्र, खाली पड़ी भूमि खेल मैदानों, प्रदर्शनी स्थलों इत्यादि के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु इलाके के किसी उपयुक्त स्थान पर "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Storm Rain Water Harvesting Structure) का भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. निजी भवनो में एवं खुले स्थानों के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण के लिये "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Roof top & Storm Rain Water Harvesting Structure) निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिये निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते है :—

क्रम सं.	नाम शहरी स्थानीय निकाय	निजी भवनो में निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.	खुले स्थानों पर निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं "(Storm Rain Water Harvesting Structure) की सं.	विशेष विवरण
01.	राजस्थान आवासन मण्डल	500	30	
02.	जयपुर विकास प्राधिकरण	50	30	
03.	नगर विकास न्यास (प्रत्येक)	25	10	
04.	नगर निगम, जयपुर	50	10	
05.	नगर निगम (अन्य प्रत्येक)	30	5	
06.	नगर परिषद (प्रत्येक)	20	3	
07.	नगर पालिका (जिला मुख्यालय) (प्रत्येक)	10	2	
08.	नगर पालिका (अन्य)	5	1	

5. उक्त आवंटित लक्ष्यों के अनुसार "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली "(Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) का निर्माण मानसून आने से पूर्व हर स्थिति में 30 जून 2010 तक करवाया जाना सुनिश्चित करायें।

उक्त कार्यो की निगरानी हेतु जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये आयुक्त, नगर विकास न्यास के लिये सचिव व नगर निकायों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना "(Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण हेतु उक्त प्रावधानों को कड़ाई एवं प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये तथा उपरोक्तानुसार लक्ष्यों

को पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी होंगे एवं उनका प्रगति की सूचना प्रतिमाह नोडल अधिकारी को भिजवाई जावे।

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर विकास न्यास के लिये उप शासन सचिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग व नगर निकायों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा कार्य की सुपरविज़न, मोनेटरिंग व सूचना संकलित करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा संकलित की गई सूचनायें प्रतिमाह में निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रेषित की जावेगी।

"वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के प्रावधान यदि लागू नहीं होते हैं, तो निगरानी के लिये जिम्मेदार अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./ 2275-2527 दिनांक :13/05/10
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, ज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
9. उप शासन सचिव (प्रथम व द्वितीय), नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
11. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
15. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग